अनुदान संख्या 5 – आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष) मंत्रालय

GRANT No. 5 - MINISTRY OF AYURVEDA, YOGA AND NATUROPATHY, UNANI, SIDDHA AND HOMOEOPATHY (AYUSH)

			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -

(हजार रुपयों में)
(In thousands of rupees)

राजस्वः	**Revenue:**				
स्वीकृत–	Voted-				
मूल	Original	1425,35,00	2020,01,00	2006,50,89	- 13,50,11
पूरक	Supplementary	594,66,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				शून्य Nil
पूंजीगतः	**Capital:**				
स्वीकृत–	Voted-				
मूल	Original	3,30,00	31,30,00	28,20,65	- 3,09,35
पूरक	Supplementary	28,00,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				3,00,00

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआः–

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head			
मुख्य शीर्ष "2251"	Major Head "2251"			
सचिवालय–सामाजिक सेवाएं	Secretariat-Social Services	2500.00	2369.39	-130.61

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+ बचत– Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "2210"	Major Head "2210"				
चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य	Medical and Public Health				
मू.	O.	91485.00			
पू.	S.	6398.00	103439.99	102466.03	-973.96
पु.	R.	5556.99			
मुख्य शीर्ष "2552"	Major Head "2552"				
पूर्वोत्तर क्षेत्र	North Eastern Areas				
मू.	O.	14300.00			
पू.	S.	9900.00	8725.01	..	-8725.01
पु.	R.	-15474.99			
मुख्य शीर्ष "3601"	Major Head "3601"				
राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Grants-in-aid to State Governments				
मू.	O.	33250.00			
पू.	S.	42868.00	86736.00	95335.48	+8599.48
पु.	R.	10618.00			
मुख्य शीर्ष "3602"	Major Head "3602"				
विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	Grants-in-aid to Union Territory Governments with Legislature				
मू.	O.	1000.00			
पू.	S.	300.00	600.00	479.99	-120.01
पु.	R.	- 700.00			

(I) ₹32390.00 लाख का प्रावधान (दिसंबर, 2017 तथा मार्च, 2018 में प्राप्त किए गए ₹9900.00 लाख के पूरक अनुदान सहित) उन्नीस शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; जिसमें से ₹32200.00 लाख निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:–

(का) मुख्य शीर्ष "2210" – "चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान" –

(क) "यूनानी – आखिल भारतीय यूनानी चिकित्सा संस्थान" – ₹2800.00 लाख – राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान को निधियों के स्थानान्तरण के कारण।

(ख) "होम्योपैथी – अखिल भारतीय होम्योपैथी संस्थान"– ₹2800.00 लाख; और

(ग) "अन्य पद्धतियां – अखिल भारतीय योग संस्थान"– ₹2400.00 लाख।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान निर्माण कार्यों में विलंब के कारण अप्रयुक्त रहा।

(खा) मुख्य शीर्ष "2552" –

(क) "शहरी स्वास्थ्य सेवाएं – चिकित्सा की अन्य पद्धतियां – अन्य पद्धतियां" –

(i) "राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड" – ₹1000.00 लाख;

(ii) "राष्ट्रीय आयुष मिशन" – ₹8600.00 लाख (₹1200.00 लाख के पूरक अनुदान सहित);

(ख) "चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान – अन्य पद्धतियां" –

(I) Provision of ₹32390.00 lakhs (including supplementary grant of ₹9900.00 lakhs obtained in December, 2017 and March, 2018) remained wholly unutilised under nineteen heads; of these ₹32200.00 lakhs accounted for under the following major heads:-

(A) Major Head "2210" - "Medical Education, Training and Research"-

(a) "Unani - All India Institute of Unani Medicine" - ₹2800.00 lakhs - due to transfer of funds to National Institute of Unani Medicine.

(b) "Homoeopathy - All India Institute of Homoeopathy" - ₹2800.00 lakhs; and

(c) "Other Systems - All India Institute of Yoga"- ₹2400.00 lakhs.

Provisions under the above two heads remained unutilised due to delay in construction activities.

(B) Major Head "2552" -

(a) "Urban Health Services - Other Systems of Medicines - Other Systems" -

(i) "National Medicinal Plants Board" - ₹1000.00 lakhs;

(ii) "National AYUSH Mission (NAM)" - ₹8600.00 lakhs (including supplementary grant of ₹1200.00 lakhs);

(b) "Medical Education, Training and Research - Other Systems" -

(i) "पूर्वोत्तर लोक चिकित्सा संस्थान, पासीघाट"– ₹1000.00 लाख;

(ii) "पूर्वोत्तर आयुर्वेद और होम्योपैथी संस्थान, शिलांग" – ₹1100.00 लाख (₹100.00 लाख के पूरक अनुदान सहित);

(iii) "केंद्रीय योग और प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद को अनुदान" – ₹200.00 लाख;

(ग) "चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान – आयुर्वेद – केंद्रीय आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान परिषद को अनुदान" – ₹1000.00 लाख;

(घ) "शहरी स्वास्थ्य सेवाएं – चिकित्सा की अन्य पद्धतियां – निदेशन और प्रशासन – सूचना, शिक्षा और संचार पर व्यय" – ₹300.00 लाख;

(ङ) "चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान – होम्योपैथी – केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद को अनुदान" – ₹900.00 लाख; और

(च) "चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान – यूनानी – केंद्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान परिषद को अनुदान" – ₹1500.00 लाख।

प्रावधान उपर्युक्त नौ शीर्षों के अंतर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्ष को किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(छ) "आरक्षित निधि/जमा लेखे को अंतरण – राष्ट्रीय निवेश निधि (आयुष) को अंतरण के लिए निधि" – ₹8600.00

(i) "North-Eastern Institute of Folk Medicine, Passighat" - ₹1000.00 lakhs;

(ii) "North-Eastern Institute of Ayurveda and Homoeopathy, Shillong" - ₹1100.00 lakhs (including supplementary grant of ₹100.00 lakhs);

(iii) "Grants to Central Council for Research in Yoga and Naturopathy" - ₹200.00 lakhs;

(c) "Medical Education, Training and Research - Ayurveda - Grants to Central Council for Research in Ayurvedic Sciences" - ₹1000.00 lakhs;

(d) "Urban Health Services - Other Systems of Medicines - Direction and Administration - Expenditure on Information, Education and Communication" - ₹300.00 lakhs;

(e) "Medical Education, Training and Research - Homoeopathy - Grants to Central Council for Research in Homoeopathy" - ₹900.00 lakhs; and

(f) "Medical Education, Training and Research - Unani - Grants to Central Council for Research in Unani Medicine" - ₹1500.00 lakhs.

Provisions under the above nine heads remained unutilised due to re-appropriation of funds to functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(g) "Transfer to Reserve Fund/Deposit Account- Fund for Transfer to National

लाख – प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण।

(II) मुख्य शीर्ष "2210" – "चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान – आयुर्वेद – आयुर्वेद में स्नातकोत्तर शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, जामनगर को अनुदान" – के अंतर्गत ₹3100.00 लाख के मूल प्रावधान को दिसंबर, 2017 में ₹100.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹3200.00 लाख कर दिया गया। तथापि, ₹106.07 लाख की बचत (पूरक अनुदान सहित) – स्वास्थ्य मेला आयोजित कराने के लिए स्कीम को अंतिम रूप न दिए जाने और प्रस्तावों की कम प्राप्ति होने के कारण हुई।

(III) दिसंबर, 2017 और मार्च, 2018 में प्राप्त पूरक अनुदान निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत प्रत्येक के सामने दर्शाई गई सीमा तक अप्रयुक्त रहा:–

(का) मुख्य शीर्ष "2210" –

(क) "शहरी स्वास्थ्य सेवाएं – चिकित्सा की अन्य पद्धतियां" –

(i) "निदेशन और प्रशासन" –

(1) "सूचना शिक्षा और संचार पर व्यय" – ₹3100.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹300.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹3400.00 लाख कर दिया गया तथापि, जो,स्वास्थ्य मेलों का आयोजन न किए जाने तथा प्रस्तावों के पर्याप्त मात्रा में न मिलने के कारण ₹292.58 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(2) "अंतर्राष्ट्रीय सहयोग संवर्द्धन" – ₹1300.00 लाख के मूल प्रावधान को

Investment Fund (AYUSH)" - ₹8600.00 lakhs - due to non-receipt of proposals.

(II) Under Major Head "2210" - "Medical Education, Training and Research - Ayurveda - Grants to Institute of Post Graduate Teaching and Research in Ayurveda, Jamnagar" - the original provision of ₹3100.00 lakhs was augmented to ₹3200.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹100.00 lakhs in December, 2017. However, there was a saving of ₹106.07 lakhs (including supplementary grant) - due to non-finalisation of scheme for conducting of health melas and receipt of less proposals.

(III) Supplementary grant obtained in December, 2017 and March, 2018 remained unutilised under the following major heads to the extent as shown against each:-

(A) Major Head "2210" -

(a) "Urban Health Services - Other Systems of Medicine"-

(i) "Direction and Administration" -

(1) "Expenditure on Information, Education and Communication" - the original provision of ₹3100.00 lakhs was augmented to ₹3400.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹300.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of ₹292.58 lakhs - due to non-finalisation of proposals for conducting of Health Melas and non-receipt of adequate proposals.

(2) "Promotion of International Cooperation" -the original

₹228.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹1528.00 लाख कर दिया गया तथापि, जो,प्रस्तावों को अनुमोदन न मिलने के कारण ₹73.88 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

provision of ₹1300.00 lakhs was augmented to ₹1528.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹228.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of ₹73.88 lakhs - due to non-approval of proposals.

(ii) "अन्य प्रणालियां – अनुसंधान संस्थान (निजी/अर्ध सरकारी/सरकारी/विश्विद्यालय/गैर सरकारी संगठन) द्वारा एक्सट्रा म्यूलर अनुसंधान परियोजनाओं को अनुदान आदि" – ₹500.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹400.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹900.00 लाख कर दिया गया तथापि, जो, प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण ₹53.48 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(ii) "Other Systems - Grants for Extra Mural Research Projects through Research Institute (Pvt./Semi Govt./Govt./Universities/NGO) etc." - the original provision of ₹500.00 lakhs was augmented to ₹900.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹400.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of ₹53.48 lakhs - due to non-receipt of proposals.

(ख) "चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान – सिद्ध– केंद्रीय सिद्ध अनुसंधान परिषद, चेन्नई को अनुदान" – ₹2500.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹300.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹2800.00 लाख कर दिया गया तथापि, जो, कम प्रस्ताव मिलने तथा निर्माण कार्यकलापों में विलंब के कारण ₹106.00 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(b) "Medical Education, Training and Research- Siddha - Grants to Central Council for Research in Siddha, Chennai" - the original provision of ₹2500.00 lakhs was augmented to ₹2800.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹300.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of ₹106.00 lakhs - due to receipt of less proposals and delay in construction activities.

(खा) मुख्य शीर्ष "3602" – "केंद्रीय प्रायोजित स्कीमें – आरक्षित निधि/जमा लेखे को अंतरण – राष्ट्रीय निधि में अंतरण के लिए निधियां" – मार्च, 2018 में पूरक अनुदान प्राप्त करके ₹300.00 लाख की निधियां मुहैय्या कराई गई थीं जो, तथापि, कम प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण ₹60.00 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रहीं।

(B) Major Head "3602" - "Centrally Sponsored Schemes - Transfer to Reserve Fund/Deposit Account - Funds for Transfer to National Investment Fund" - funds of ₹300.00 lakhs were provided by obtaining supplementary grant in March, 2018 which, however, remained unutilised to the extent of ₹60.00 lakhs - due to receipt of less proposals.

(IV) मुख्य शीर्ष "2251" – "सचिवालय – आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी मंत्रालय" – के अंतर्गत ₹130.61 लाख की बचत (₹2500.00

(IV) Under Major Head "2251" - "Secretariat - Ministry of Ayurveda, Yoga and Naturopathy, Unani, Siddha and Homoeopathy"- saving of ₹130.61 lakhs

लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम आकस्मिक बिलों के प्राप्त होने के कारण हुई।

(V) मुख्य शीर्ष "2210" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं :–

(का) "शहरी स्वास्थ्य सेवाएं – चिकित्सा की अन्य पद्धतियां"–

(क) "आयुर्वेद – एएसयू औषध कोश समितियों और भारतीय चिकित्सा औषध कोश आयोग का सुदृढ़ीकरण" – ₹217.86 लाख की बचत (₹500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों के न भरे जाने, प्रस्ताव प्राप्त न होने तथा अनुमोदन में विलंब के कारण वेबसाइट के तैयार न होने के कारण हुई।

(ख) "अन्य पद्धतियां" –

(i) "राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड" – ₹204.11 लाख की बचत (₹5300.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में); और

(ii) "बाजार अवसर पैदा करने तथा इसके विकास के लिए मेले में भाग लेने/बाजार अध्ययन का आयोजन कराने के लिए आयुष उद्योग को प्रोत्साहन" – ₹214.51 लाख की बचत (₹250.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में)।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें कम प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुईं।

(iii) "राष्ट्रीय आयुष मिशन" – ₹1326.60 लाख की बचत (₹2400.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम प्रस्ताव प्राप्त होने

(against the sanctioned provision of ₹2500.00 lakhs) was due to receipt of less contingency bills.

(V) Under Major Head "2210" - savings occurred under the following heads:-

(A) "Urban Health Services - Other Systems of Medicines"-

(a) "Ayurveda - Pharmacopoeia Committees of ASU and Strengthening of Pharmacopoeia Commission of Indian Medicine (PCIM)" - saving of ₹217.86 lakhs (against the sanctioned provision of ₹500.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, non-receipt of adequate proposals and non-establishment of website owing to delay in approval.

(b) "Other Systems" -

(i) "National Medicinal Plants Board." - saving of ₹204.11 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5300.00 lakhs); and

(ii) "Incentives to AYUSH Industry for participation in fairs/ conducting market study for creating and developing market opportunity" - saving of ₹214.51 lakhs (against the sanctioned provision of ₹250.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to receipt of less proposals.

(iii) "National AYUSH Mission (NAM)" - saving of ₹1326.60 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2400.00 lakhs) was due to receipt of less

तथा निर्माण कार्यकलाप में विलंब होने के कारण हुई।

proposals and delay in construction activities.

(ग) "अनुसूचित जाति विशेष संघटक योजना – राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड" – ₹125.99 लाख की बचत (₹500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पर्याप्त प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण हुई।

(c) "Special Component Plan for Scheduled Castes - National Medicinal Plants Board" - saving of ₹125.99 lakhs (against the sanctioned provision of ₹500.00 lakhs) was due to non-receipt of adequate proposals.

(खा) "चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान" –

(B) "Medical Education, Training and Research"-

(क) "सिद्ध – राष्ट्रीय सिद्ध संस्थान, चेन्नई को अनुदान" – ₹116.00 लाख की बचत (₹3000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम प्रस्ताव प्राप्त होने, निर्माण कार्यकलापों में विलंब तथा स्वच्छता कार्य योजना के कार्यान्वयन का अनुमोदन देरी से प्राप्त होने के कारण हुई।

(a) "Siddha - Grants to National Institute of Siddha, Chennai" - saving of ₹116.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3000.00 lakhs) was due to receipt of less proposals, delay in construction activities and late receipt of approval for implementing Swachhta Action Plan.

(ख) "अन्य पद्धतियाँ – राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान, पुणे को अनुदान" – ₹2086.00 लाख की बचत (₹2600.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) निर्माण कार्यकलाप में विलंब, रिक्त पदों को न भरे जाने तथा कम प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुई।

(b) "Other Systems - Grants to National Institute of Naturopathy, Pune" - saving of ₹2086.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2600.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, delay in construction activities and receipt of less proposals.

(VI) मुख्य शीर्ष "3602" – "केंद्रीय रूप से प्रायोजित स्कीम – केंद्रीय सहायता / हिस्सा – राष्ट्रीय आयुष मिशन" – ₹760.01 लाख की बचत (₹1000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम प्रस्ताव प्राप्त होने तथा निर्माण कार्यकलापों में विलंब के कारण हुई।

(VI) Under Major Head "3602" - "Centrally Sponsored Schemes - Central Assistance/ Share - National AYUSH Mission (NAM)" - saving of ₹760.01 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1000.00 lakhs) was due to receipt of less proposals and delay in construction activities.

(VII) उपर्युक्त पांच शीर्षों के अंतर्गत ₹381.40 लाख की बचतें हुईं, प्रत्येक ₹50.00 लाख से अधिक परन्तु ₹100.00 लाख से कम तथा स्वीकृत प्रावधान का 11 प्रतिशत से 98 प्रतिशत थीं।

(VII) Under five heads savings of ₹381.40 lakhs occurred, each exceeding ₹50.00 lakhs but not exceeding ₹100.00 lakhs and constituting 11 percent to 98 percent of the sanctioned provision.

2. (I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹28619.00 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसा

2 (I). The above savings were partly (₹28619.00 lakhs) utilised for augmenting the provision by

कि जुलाई, 2017, दिसंबर, 2017 तथा मार्च, 2018 में निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत ₹49266.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:–

(का) मुख्य शीर्ष "2210" के अंतर्गत –

(क) "शहरी स्वास्थ्य सेवाएं – चिकित्सा की अन्य पद्धतियां – आयुर्वेद – अखिल भारती आयुर्वेद संस्थान, नई दिल्ली" – ₹236.00 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹235.00 लाख था।

(ख) "चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान" –

(i) "आयुर्वेद" –

(1) "आयुर्वेद – राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर को अनुदान" – ₹3240.50 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹3235.00 लाख था।

(2) "केंद्रीय आयर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद को अनुदान" – ₹3870.00 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹3865.00 लाख था।

(ii) "होम्योपैथी" –

(1) "राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान, कोलकाता को अनुदान" – ₹1440.00 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹1434.97 लाख था।

(2) "केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद को अनुदान" – ₹2275.00 लाख।

(iii) "यूनानी" –

re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining supplementary grant of ₹49266.00 lakhs in July, 2017, December, 2017 and March, 2018 - under the following major heads:-

(A) Major Head "2210" -

(a) "Urban Health Services - Other Systems of Medicines - Ayurveda - All India Institute of Ayurveda (AIIA), New Delhi" - ₹236.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹235.00 lakhs.

(b) "Medical Education, Training and Research" -

(i) "Ayurveda" -

(1) "Grants to National Institute of Ayurveda, Jaipur" - ₹3240.50 lakhs. Actual excess, however, was ₹3235.00 lakhs.

(2) "Grants to Central Council for Research in Ayurvedic Sciences" - ₹3870.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹3865.00 lakhs.

(ii) "Homoeopathy" -

(1) "Grants to National Institute of Homoeopathy, Kolkata" - ₹1440.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹1434.97 lakhs.

(2) "Grants to Central Council for Research in Homoeopathy" - ₹2275.00 lakhs.

(iii) "Unani" -

(1) "राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान, बेंगलौर को अनुदान" – ₹2549.50 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹2544.50 लाख था।

(2) "केंद्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान परिषद को अनुदान" – ₹2093.00 लाख।

(iv) "अन्य पद्धतियाँ" –

(1) "मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योगा संस्थान को अनुदान" – ₹302.00 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹271.80 लाख था।

(2) "पूर्वोत्तर लोक चिकित्सा संस्थान, पासीघाट" – ₹855.00 लाख।

(3) "पूर्वोत्तर आयुर्वेद और होम्योपैथी संस्थान, शिलांग" – ₹1140.00 लाख।

(खा) मुख्य शीर्ष "3601" – "केंद्रीय रूप से प्रायोजित स्कीम – केंद्रीय सहायता/हिस्सा – राष्ट्रीय आयुष मिशन" – ₹10618.00 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹10617.74 लाख था।

(II) बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं :–

(का) बचतें मुख्य शीर्ष "2210" – "चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान – अन्य पद्धतियाँ – केंद्रीय योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद" के अंतर्गत – ₹200.00 लाख का अधिक व्यय (₹3000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष "2552" से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

(1) "Grants to National Institute of Unani Medicine, Bangalore" - ₹2549.50 lakhs. Actual excess, however, was ₹2544.50 lakhs.

(2) "Grants to Central Council for Research in Unani Medicine" - ₹2093.00 lakhs.

(iv) "Other Systems" -

(1) "Grants to Morarji Desai National Institute of Yoga" - ₹302.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹271.80 lakhs.

(2) "North Eastern Institute of Folk Medicine, Passighat" - ₹855.00 lakhs.

(3) "North Eastern Institute of Ayurveda and Homoeopathy, Shillong" - ₹1140.00 lakhs.

(B) Major Head "3601" - "Centrally Sponsored Schemes - Central Assistance/ Share - National AYUSH Mission (NAM)" - ₹10618.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹10617.74 lakhs.

(II) Savings were also offset by excess under the following major heads:-

(A) Major Head "2210" - "Medical Education, Training and Research - Other Systems - Grants to Central Council for Research in Yoga and Naturopathy" - excess of ₹200.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3000.00 lakhs) was due to re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(खा) मुख्य शीर्ष "3601" – "केंद्रीय रूप से प्रायोजित स्कीमें – आरक्षित निधि / जमा लेखे को अंतरण" – ₹8599.74 लाख का अधिक व्यय (मार्च, 2018 में प्राप्त ₹39068.00 लाख के पूरक अनुदान की तुलना में) वचनबद्ध देयताओं को पूरा करने के लिए मौजूदा परियोजनाओं के कार्यान्वयन और 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन के कारण हुआ।

(B) Major Head "3601" - "Centrally Sponsored Schemes - Transfer to Reserve Fund/Deposit Account - Funds for Transfer to National Investment Fund" - excess of ₹8599.74 lakhs (against the supplementary provision of ₹39068.00 lakhs obtained in March, 2018) was due to implementation of existing projects to meet committed liabilities and implementation of 7th Central Pay Commission recommendations.

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, कुल बचत (₹309.35 लाख) दिसंबर, 2017 में प्राप्त किए गए ₹2800.00 लाख की पूरक अनुदान से अधिक हो गई और यह कुल स्वीकृत प्रावधानों का 10 प्रतिशत थी।

3. In the capital section of the grant, the overall savings (₹309.35 lakhs) constituted 11 percent of the supplementary grant of ₹2800.00 lakhs obtained in December, 2017 and 10 percent of the total sanctioned provision.

बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुईं :–

Saving occurred under the following major head:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
मुख्य शीर्ष "4210" चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4210" Capital Outlay on Medical and Public Health				
मू.	O.	330.00			
पू.	S.	2800.00	2830.00	2820.65	-9.35
पु.	R.	-300.00			

(I) ₹300.00 लाख का प्रावधान "सामान्य – सार्वजनिक क्षेत्र एवं अन्य उपक्रमों में निवेश – भारतीय औषध निर्माण निगम लिमिटेड" के अंतर्गत एक मामले में पिछले वर्ष के दौरान अधिप्राप्ति की गई मशीन के प्रचालनीय न होने के कारण पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(I) Provision of ₹300.00 lakhs remained wholly unutilized in one case under "General - Investments in Public Sector and Other Undertakings - Indian Medicine Pharmaceutical Corporation Limited" - due to non-operationalisation of machine procured during previous year.